	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

कार्तिक 14, मंगलवार, शाके 1935–नवम्बर 5, 2013
Kartika 14, Tuesday, Saka 1935–November 5,2013

भाग 5 (घ)

भारत के निर्वाचन आयोग की विज्ञप्तियां।

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

दिनांकः 5 नवम्बर, 2013
14 कार्तिक,1935 (शक)

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 5, 2013

संख्या डी.301/एफ 3(1)(7)प्रथम/निर्वा./2013:– यतः, भारत के संविधान के अनुच्छेद 172 के खण्ड (1) के उपबन्धों के अनुसार राजस्थान राज्य की विद्यमान विधान सभा, यदि शीघ्र विघटित न हो, दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 (मंगलवार) को सम्मिलित करते हुए उस तारीख तक चालू रहेगी और उसके पश्चात् उसकी पदावधि के अवसान पर भंग मानी जाएगी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप–धारा (1) शर्तों पर, राज्य की नई विधान सभा के गठन के प्रयोजन से साधारण निर्वाचन कराया जाना है;

यतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप–धारा (2) के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिश के अनुसार, राजस्थान राज्य की राज्यपाल, राज्य के समस्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से यह अपेक्षा करती हैं कि वे उक्त अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार, राज्य की विधान सभा के लिए सदस्य निर्वाचित करें।

राज्यपाल के नाम पर उनके आदेश से,

सी. एस. राजन,
मुख्य सचिव,
राजस्थान सरकार।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
(ELECTION DEPARTMENT)

Dated: 5th November, 2013
14, Kartika 1935 (Saka)

NOTIFICATION
Jaipur,November 5, 2013

No.D.301/F 3(1)(7)I/Elect./2013:-WHEREAS, in accordance with the provisions of clause (1) of Article 172 of the Constitution of India, the existing Legislative Assembly of the State of Rajasthan, unless sooner dissolved, shall continue up to and including the 31st December, 2013 (Tuesday) and shall, thereafter, stand dissolved on the expiration of its duration; and

WHEREAS, in terms of sub-section (1) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), a General Election has to be held for the purpose of constituting a new Legislative Assembly of the State of Rajasthan;

NOW, THEREFORE, as recommended by the Election Commission of India, in pursuance of sub-section (2) of Section 15 of the said Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Governor of the State of Rajasthan, is hereby pleased to call upon all Assembly Constituencies of the State, to elect members to the Legislative Assembly of the State, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made there under.

BY ORDER AND IN THE NAME OF GOVERNOR

C. S. RAJAN,
CHIEF SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF RAJASTHAN

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 5 नवम्बर, 2013
14 कार्तिक, 1935 (शक)

अधिसूचना
जयपुर, नवम्बर 5, 2013

सं0 464/राज0.-वि0स0/2013 :- यत: राजस्थान राज्य के राज्यपाल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप-धारा

(2) के अधीन जारी और 05 नवम्बर, 2013 को राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा राज्य के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में से समस्त से यह अपेक्षा की हैं कि वे उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य की विधान सभा के लिए सदस्य निर्वाचित कर दें ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 30 और 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा :–

(अ) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से, उक्त निर्वाचन के सम्बंध में –

(क)	नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख	:	12 नवम्बर, 2013 (मंगलवार)
(ख)	नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	:	13 नवम्बर, 2013 (बुधवार)
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	:	16 नवम्बर, 2013 (शनिवार)
(घ)	वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान होगा	:	1 दिसम्बर, 2013 (रविवार)
(ड.)	वह तारीख, जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	:	11 दिसम्बर, 2013 (बुधवार)

नियत करता है; और

(आ) 8.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा ।

आदेश से,

शंगारा राम,
प्रधान सचिव
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

Dated: 5th November, 2013
14, Kartika 1935 (Saka)

NOTIFICATION
Jaipur,November 5, 2013

No.464/RJ-LA/2013:- WHEREAS, the Governor of the State of Rajasthan has, by notification issued under sub-section (2)

of section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), published in the official Gazette of the State on the 05th November, 2013, been pleased to call upon all Assembly Constituencies in the State of Rajasthan, to elect members of the Legislative Assembly of the State, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made there under ;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 30 and 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby-

(A) appoints, with respect to the said election in each of the Assembly Constituencies ;
(a) the 12th November, 2013 (Tuesday), as the last date for making nominations ;
(b) the 13th November, 2013 (Wednesday), as the date for scrutiny of nominations;
(c) the 16th November, 2013 (Saturday), as the last date for withdrawal of candidatures;
(d) the 1st December, 2013 (Sunday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
(e) the 11th December, 2013 (Wednesday) as the date before which the election shall be completed; and

(B) fixes the hours from 8.00 AM to 5.00 PM, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By Order,

SHANGARA RAM,
PRINCIPALSECRETARY
ELECTION COMMISSION OF INDIA

Government Central Press, Jaipur.